न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– बिदामी बनाम कमलेश आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 31 वर्ष 2021

दिनांक	आज्ञा पत्र	
03.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस टी0आई0 सुनी गई। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.21 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम पृथ्वीपुरा प0ह0 अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 571 रकबा 1.98 है0 भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। चूंकि अप्रार्थी सं0 3, 5 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है तथा अप्रार्थी सं0 1, 2 व 4 द्वारा कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना–पत्र टी0आई0 पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 88, 53, 188 रा0का0अधिनियम पेश किया है, जो वर्तमान में साक्ष्य वादी में विचाराधीन चल रहा है। साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम पृथ्वीपुरा प0ह0 अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 571 रकबा 1.98 है0 भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	